



**THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY**

No. 792

26 Shrawan, 1940(S)

Ranchi, Friday, 17th August, 2018

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

**Notification
16th August, 2018**

Notification No. -15/2018 – State Tax(Rate)

S.O. No. 51 Dated. 17th August, 2018--In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Jharkhand, in the Department of Commercial Taxes, No.13/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 43, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(i) in the Table, after serial number 10 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“11	Services supplied by individual Direct Selling Agents (DSAs) other than a body corporate, partnership or limited liability partnership firm to bank or non-banking financial company (NBFCs)	Individual Direct Selling Agents (DSAs) other than a body corporate, partnership or limited liability partnership firm	A banking company or a non-banking financial company, located in the taxable territory.”;

(ii) in the Explanation, after clause (f), the following clause shall be inserted, namely: -

‘(g) “renting of immovable property” means allowing, permitting or granting access, entry, occupation, use or any such facility, wholly or partly, in an immovable property, with or without the transfer of possession or control of the said immovable property and includes letting, leasing, licensing or other similar arrangements in respect of immovable property.’.

2. This notification shall come into force with effect from 27th July, 2018.

[File.NoVaKar / GST / 05/ 2018]
By the order of the Governor of Jharkhand,

K. K. Khandelwal,
Additional Chief Secretary.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* notification No. 13/2017 - State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, *vide* S.O. No. 43, dated the 29th June, 2017 and was last amended by notification No. 3/2018 - State Tax (Rate), dated the 5th March, 2018 *vide* S.O. No. 18, dated the 5th March, 2018.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

16 अगस्त, 2018

अधिसूचना सं०. 15/2018- राज्य कर (दर)

एस. ओ. सं०- 51 दिनांक- 17 अगस्त, 2018-- झारखण्ड माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 09 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, झारखण्ड सरकार, वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना संख्या 13/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 जिसे एस. ओ. सं. 43, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) सारणी में, क्रम संख्या 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"11	बॉडी कार्पोरेट, पार्टनरशिप या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म से भिन्न वैयक्तिक डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स द्वारा बैंकों/नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कं. (एनबीएफसी) को दी जाने वाली सेवाएं ।	बॉडी कार्पोरेट, पार्टनरशिप या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म से भिन्न वैयक्तिक डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स	ऐसी बैंकिंग कंपनी या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो कि कर वाले भू-क्षेत्र में अवस्थित हो ।";

(ii) स्पष्टीकरण में, उप वाक्य (च) के पश्चात निम्नलिखित उपवाक्य को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा-

‘(छ) “अचल संपत्ति को किराए पर देने” से अभिप्राय किसी अचल संपत्ति को पूर्णतया या अंशतया उसमें प्रवेश करने, अपने कब्जे में रखने, प्रयोग करने या इसी प्रकार की सुविधा के लिए अनुमति देने, इजाजत देने, वहां तक पहुंचने की अनुमति देने से है, चाहे ऐसा उक्त

अचल संपत्ति के कब्जे के अंतरण या उसके नियंत्रण के साथ या उसके बिना हो और जिसमें किराए पर देना, पट्टे पर देना, लाइसेंस देना या इसी प्रकार की अन्य व्यवस्था करना, जो कि उक्त अचल संपत्ति से संबंधित हो, भी आता है ।

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवृत्त होगी ।

[सं.सं .वा०कर/जी०एस०टी०/05/2018]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के० के० खण्डेलवाल,
अपर मुख्य सचिव ।

नोट : मूल अधिसूचना को अधिसूचना संख्या 13/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 के रूप में एस. ओ. सं. 43, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 3/2018- राज्य कर (दर) दिनांक 5 मार्च, 2018, एस. ओ. सं. 18, दिनांक 5 मार्च, 2018 के द्वारा संशोधन किया गया है ।
